Sl. No	State/Union Territory	Gross Block As on		
		31.3.1992	31.3.1993	31.3.1994
22.	Tamil Nadu	7838.95	8601.83	9547.26
23.	Tripura	369.48	397.38	374.27
24.	Uttar Pradesh	14429.82	14934.98	16035.56
25.	West Bengal	10815.91	13456.68	14680.31
26.	Indaman & Nicobar Islands	16.51	17.93	18.78
27.	Chandigarh	219.40	14.63	272.89
28.	Delhi	7599.42	8400.52	10370.60
29.	Pondicherry	19.74	24.96	27.30
30.	Others and Unallocated	5606.46	7682.71	9932.58
	Total	153893.02	174837.04	198912.49

Indo-Us Commercial Alliance Board

210. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the present status of Indo-US Commercial Alliance Board which was pro posed to be constituted;

(b) which are the areas selected to focus;

(c) whether this alliance will effect Trade Association and small/large business, cotton yam, iron-ore and other factors; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE: (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) The Board of Indo-US Commercial Alliance has already been constituted and the Board Meetings have been held on 19th June, 1995 at Santa Clara in USA and on 12th March, 1996 at New Delhi.

(b) The Sectors selected for focus initially are Information technology, Transportation & Infrastructure, Agri-business and power.

(c) and (d) The Alliance encompasses trade associations as well as large and small businesses and provides a general framework for increased interaction in various sectors between private sectors enterprises of both the countries for expanding bilateral trade and commercial ties

Delicensing of Agro-based Industries

211. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of INDUSTRY be plased to state:

(a) which industries using agricultural produce as raw material have been de-licened following the policy of liberalisation;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the sugar industry would be delicensed in view of the above; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (d) All the agro-based industries except sugar, cigarettes and alcoholic drinks have been delicensed. Review of the industries retained under compulsory licensing is an on-going process.

Industries in infra-structure sector

212. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are considering any action plan to accelerate setting up of industries in infra-structure sector with foreign and Indian private sector; and

(b) if so, the details thereof, state-wise?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Conscious of the need to have a strong infrastructure in order to achieve accelerated economic development, the Government is endeavouring through various policy and promotional measures to attract investment both domestic and foreign in the infrastructure sector. Several infrastructure related industries are included in Annexure-III of the Statement of the Industrial Policy 1991 under which automatic approval is given by the Reserve Bank of India for foreign investment provided the equity does not exceed 51%.

कुशल/कार्य-कुशल श्रमिकों की कमी

213. **श्री राम जेठमलानी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कुशल/कार्य-कुशल श्रमिकों की कमी महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सर्वेक्षण कराकर यह पता लगाया है कि अशिक्षित श्रमिक, शिक्षित श्रमिक और अत्यधिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त श्रमिक की उत्पादकता में कितना-कितना अन्तर होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं गत तीन वर्षों के दौरान लागू की गई हैं;

(ङ) इसके फलस्वरूप कितने-कितने श्रमिकों को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पहुंचाया जा सका है; और

(च) इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पिछड़े क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन

214. **श्री नागमणि:**
श्री ईशदत्त यादव:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय चीनी मिलों की स्थापना हेतु क्या-क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में भी चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए बढ़ावा देने हेतु कोई योजना विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत और अधिक चीनी मिलों की स्थापना हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाये गये है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) 7-9-1990 से 31-3-1994 के दौरान नई चीनी मिलें स्थापित करने तथा लाइसेंस शुदा/लाइसेंस प्राप्त किए जाने वाली विस्तार परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार ने 10 मार्च, 1993 को एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। प्रोत्साहन उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में है जो कि प्रोत्साहन योजना में निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा किए जाने पर है। प्रोत्साहन योजना मुख्य रूप से 2500 टी०सी०डी० की क्षमता के साथ संस्थापित/विस्तारित चीनी एककों के लिए लागू है। योजना, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित क्षेत्रों में 1750 टी०सी०डी० की न्यूनतम क्षमता के साथ संस्थापित चीनी मिलों पर भी लागू होती है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं हेतु सहायता

215. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार तथा विदेशी सहायता से चलाई जा रही योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार तथा विदेशों द्वारा दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?